निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 904) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

24 जुलाई 2015

सं० 22/नि0सि0(मुज0)–06–03/2012/1667—श्री दिनेश कुमार चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरूद्ध पदस्थापन अवधि में कमला कन्सट्रक्शन कम्पनी एवं कमलादित्य कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 कम्पनी को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के बाल्मीकिनगर परियोजनान्तर्गत नेपाल हितकारी योजना के तहत नहर पुनर्स्थापन कार्यों के आवंटन में बरती गई अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल, पटना से कराई गई।

उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1317 दिनांक 24.10.2013 द्वारा श्री चौधरी से निम्नलिखित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण किया गया।

(i) अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3376 दिनांक 17.08.2010 के कंडिका (4) के द्वारा Serious Unbalanced Rate के लिए Additional Performance Guarantee की माँग निविदाकार से किये जाने का प्रावधान है। मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर परिक्षेत्राधीन नेपाल हितकारी योजना 2009 के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर से संबंधित पुनर्स्थापन कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना में उक्त तथ्य की अनदेखी की गयी। उक्त निविदा आमंत्रण की सूचना में Additional Performance Guarantee से संबंधित तथ्य का उल्लेख नहीं रहने के कारण आप से अपेक्षित था कि आप अपने स्तर से उक्त तथ्य का अनुपालन कराते हुए संशोधित निविदा सूचना आमंत्रित करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित करते, जिसका अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया गया। फलस्वरूप सरकार को भारी राजस्व की क्षति हुई। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं।

उक्त के आलोक में श्री चौधरी ने अपने पत्रांक 3239 दिनांक 18.11.2013 द्वारा विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी है–

नेपाल हितकारी योजना 2009 के कार्य हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर के पत्रांक 2317 दिनांक 27.08.2010 द्वारा निविदा आमंत्रित की गई। निविदा बिक्री की तिथि 29.09.2010 निर्धारित थी। B S N L लिंक में गड़बड़ी रहने के कारण मुख्य अभियंता के पत्रांक 2549 दिनांक 28.09.2010 द्वारा निविदा बिक्री एवं प्राप्ति तिथि क्रमशः 05.10.2010 एवं 06.10.2010 की गई। Additional Performance Guarantee लेने संबंधित अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक 3376 दिनांक 17.08.2010

एवं 3740 दिनांक 08.09.10 मुख्य अभियंता कार्यालय में दिनांक 15.10.10 को प्राप्त हुआ। मुख्य अभियंता कार्यालय के पत्रांक 2675 दिनांक 20.10.10 द्वारा उपरोक्त पत्र अधीक्षण अभियंता को भेजा गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निविदा आमंत्रण सूचना में Serious Unbalanced Rate से संबंधित प्रावधान शामिल करने में अनदेखी का आरोप निराधार है। साथ ही Serious Unbalanced Rate से संबंधित पत्र विभाग से निविदा प्राप्ति के बाद प्राप्त हुआ। कार्यहित में नेपाल हितकारी योजना 2009 के लिए प्राप्त निविदा को रद्द कर पुर्ननिविदा आमंत्रित नहीं कराया गया क्योंकि प्राप्त निविदा को रद्द करने का कोई आदेश विभाग से प्राप्त नहीं था। इस प्रकार प्राप्त निविदा को रद्द कर Serious Unbalanced Rate से संबंधित तथ्य को सम्मिलित कर पुर्ननिविदा नहीं करने का आरोप निराधार है।

श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–468 दिनांक 18.02.2015 द्वारा निम्न दण्ड से संसूचित किया गया।

(1) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री चौधरी ने अपने पत्रांक 001 दिनांक 07.04.2015 द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी विभाग में समर्पित किया जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गई है।

उड़नदस्ता के जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन की निष्कर्ष कंडिका– 4(i) में स्पष्ट किया गया है कि नेपाल हितकारी योजना से संबंधित मामले में Additional Performance Guarantee नहीं लेने से सरकारी राजस्व की भारी क्षति होने का आरोप लगाया गया है। लेकिन कितनी सरकारी राजस्व की क्षति हुई यह नहीं बताया गया है। वस्तुतः Additional Performance Guarantee की राशि एक Security Money होती है जिसे गुणवत्तापूर्ण एकरारित कार्य पूर्ण होने पर इसे संवेदक को लौटा दिया जाता है। तत्कालीन मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर के पत्रांक 04 दिनांक शिविर पटना दिनांक 03.10.13 से विभाग में समर्पित संवेदक का समय वृद्धि के आवेदन में तत्कालीन संबंधित कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक के पदाधिकारियों द्वारा नेपाल हितकारी कार्यों के गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण होने का प्रमाण देते हुए जुलाई, 2013 तक अवधि विस्तार देने की अनुशंसा विभाग से की गई है। Additional Performance Guarantee लेने के लिए पथ निर्माण विभाग का पत्र मुझे निविदा प्राप्ति की संशोधित अंतिम तिथि 06.10.10 के बाद विभागीय पत्रांक 1712 दिनांक 29.09.2010 से दिनांक 15.10.2010 को प्राप्त हुआ। इसमें यह उल्लेख नहीं था कि प्राप्त की गयी निविदा में भी इसे लागू किया जाय, जिसके कारण प्राप्त निविदा आमंत्रित रद्द कर उक्त आदेश को सम्मिलित करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती। इस प्रकार विभाग का आदेश/निदेश अस्पस्ट था। इस तरह के मामले में आदेश को लागू करने का स्पष्ट दिशा निदेश किया जाना चाहिए था। स्पष्टीकरण के आरोप में उल्लेख नहीं है कि एकरारनामा के बाद कार्य के दौरान Additional Performance Guarantee की राशि नहीं ली गई। जबकि संसूचित दण्ड में दण्ड देने का आधार एकरारनामा के बाद कार्य के दौरान Additional Performance Guarantee नहीं लेना बताया गया है।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा Additional Performance Guarantee संवेदन से नहीं लिए जाने के बारे में विभाग के संबंधित पदाधिकारी को जानकारी थी, फिर भी एकरारनामा के बाद कार्य के दौरान योजना के संवेदक से Additional Performance Guarantee लेने का निदेश/आदेश नहीं दिया गया। स्पष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में Additional Performance Guarantee से संबंधित पत्र विभागीय बेवसाइट से नहीं प्राप्त करने का एक और नया तथ्य जोड़ा गया तथा दण्ड देने का एक आधार बनाया गया। स्पष्टीकरण समर्पित करने के लिए उपयुक्त अवसर नहीं देकर दण्ड देना नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है।

श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में निम्नांकित तथ्य पाये गये।

श्री चौधरी का यह कथन मान्य है कि Additional Performance Guarantee की राशि एक Security Money होती है जिसे सरकारी खजाने में जमा नहीं किया जाता है बल्कि गुणवत्तापूर्ण एकरारित कार्य पूर्ण होने पर इसे संवेदक को लौटा दिया जाता है। Additional Performance Guarantee लेने से संबंधित पत्र (पथ निर्माण विभाग का पत्रांक 3740 दिनांक 08.09.10) जल संसाधन विभाग में दिनांक 21.09.2010 को एवं मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर के कार्यालय में दिनांक 15.10.10 को प्राप्त हुआ। तकनीकी बीड का निष्पादन दिनांक 03.01.11 को किया गया। श्री चौधरी का यह कहना कि उक्त पत्र में पुर्ननिविदा के लिए कोई स्पष्ट निदेश/आदेश नहीं था, मान्य नहीं किया जा सकता है। एकरारनामा करने के समय भी Additional Performance Guarantee ली जा सकती थी।

श्री चौधरी पर गठित आरोप Additional Performance Guarantee लेने से संदर्भित है। अतः इनका यह कहना कि दण्ड संसूचित करने से पूर्व स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं दिया गया, उचित नहीं है। विभाग एवं विभागीय बेवसाईट से प्रत्र प्राप्त कर उस पर समुचित कार्रवाई करना मुख्य अभियंता का दायित्व है। अतः Additional Performance Guarantee से संबंधित पत्र विभागीय बेवसाईट से नहीं प्राप्त करने को एक नया तथ्य बताना सही नही है। यह सही है कि श्री चौधरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पदस्थापित होने के कारण कटाव की रोकथाम के लिए बाढ़ अवधि में अति व्यस्त रहे हैं। लेकिन इतने महत्वपूर्ण निर्णय पर कार्रवाई नहीं किया जाना

समीचीन प्रतीत नहीं होता है। श्री चौधरी द्वारा Additional Performance Guarantee प्राप्त नहीं करने के लिए पूर्व के स्पष्टीकरण से भिन्न और कोई तथ्य नहीं दिया गया है।

अतएव सरकार द्वारा श्री चौधरी को पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0 468 दिनांक 18.02.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड ''दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' को बरकरार रखते हुए इनके पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री चौधरी, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, सिवान को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 904-571+10-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in